कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी (म0प्र)

//निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय भवन, डिण्डौरी में रखे शासकीय वाहन को विक्रय किये जाने हेतु संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक संस्थाएं/व्यक्तियों/कंपनियां कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में कार्यालयीन समय पर आवक/जावक शाखा से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं उपरोक्त निविदायें **दिनांक 07.12.2024 से दिनांक 23.12.2024 को शाम 5:00 बजे तक** भरकर कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है। प्राप्त निविदायें **दिनांक 24.12.2024 को निविदाकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में दोपहर 11:00 बजे** कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा फार्म एवं निविदा की शर्तों की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय डिण्डौरी की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/dindori पर भी उपलब्ध है, जहां से उपरोक्त निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु वाहन का विवरण निम्नानुसार हैः—

कमांक	वाहन का विवरण	स्थान जहां वाहन रखा है
1	**Tata indigo GLX BS** Reg. No.- MP 02 AV 3061 Make Year - 2010 Total Run - 34940 K.M. Insurance Validity- No, R.C. Book Availability- Yes, District Court Premises Dindori	District Court Premises Dindori **न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू 30,000/—**

निविदा की शर्तेः—

1. सीलबंद निविदा दिनांक 07.12.2024 **से 23.12.2024 को सायं 5:00 बजे तक** स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 **(यथा संशोधित 2022)** के नियम 14.1 के अनुसार निविदा की प्रतिभूति सामग्री के अनुमानित मूल्य के अधिकतम 3 प्रतिशत होने सम्बंधी नियम के अनुक्रम में (निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये **900/— (नौ सौ रूपये/—)** की जमानत राशि **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी** को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की

जावेगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. निविदा फार्म प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता के द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

4. सफल निविदाकर्ता को अधिकतम निविदा की राशि की 25 प्रतिशत राशि 07दिवस के अंदर डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, राशि जमा न होने पर विक्रय रद्द माना जावेगा एवं धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी ।

5. वाहन से संबंधित परिवहन कार्यालय की औपचारिकतायें एवं अन्य औपचारिकतायें क्रेता को स्वयं के व्यय से पूर्ण करनी होगी ।

6. निविदा में प्राप्त अधिकतम राशि स्वीकृत प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात वाहन प्रदाय किया जा सकेगा ।

7. वाहन अपने आधिपत्य में लेने के एक माह के अंदर नाम स्थानांतरण तथा पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

8. सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है ।

9. निविदा से संबंधित विवादों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

10. वाहन का निरीक्षण कार्यालय दिवस एवं समय में नजारत अनुभाग डिण्डौरी के माध्यम से किया जा सकता है ।

11. निविदा **दिनांक 24.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे** निविदाकर्ता /प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा, यदि किसी कारणों से उक्त दिवस पर निविदा नहीं खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म0प्र0)

पृष्ठा0क0.....1056...... / तीन–9–5 / 2011 डिण्डौरी दि. 07.12.2024

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार (आई.टी. / एस.ए.) मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर मान्नीय उच्च न्यायालय के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

2. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय डिण्डौरी की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

3. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जिला न्यायालय डिण्डौरी की ओर जिला न्यायालय के सूचना पटल पर एवं सार्वजनिक स्थान जैसे, बस स्टेंड, एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।

4. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला डिण्डौरी की ओर सूचना पटल पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।

5. जनसंपर्क कार्यालय जिला डिण्डौरी की ओर नीलामी इश्तेहार सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रसारित किये जाने हेतु।

संलग्न–उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी म0प्र0

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)

–:: वाहन की नीलामी हेतु निविदा फार्म::–

प्रथम पक्ष :–

निविदाकर्ता का नाम...

पिता का नाम ....

पता:–...

....

मोबाईल नं0 ....

ई–मेल आई.डी ....

वाहन क्रमांक ....

प्रस्तावित निविदा राशि ....

अनुज्ञप्तिदाता :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी।